तुलछी देवी – मदनलाल आदि प्र० सं० 138/13

[illegible]क	आज्ञा पत्र	
[illegible].6.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाबत बहस। दिनांक 2.7.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
2.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाबत बहस दिनांक 3.7.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
3.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बहस सुनी गई। बाबत आदेश दिनांक 11.7.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
11.7.25	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट....खारिज.... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 138 / 2013

1 श्रीमती तुलछी देवी पत्नी सुल्तान सिंह जाति जाट निवासी स्वामी की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 मदनलाल पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी मोदी कॉलेज के सामने मोदी रोड़ लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 फूलचन्द पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी घस्सु का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 आसू सिंह पुत्र जवाहरा राम जाति जाट निवासी दन्तुजला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 मोहम्मद आमीन पुत्र हाजी उस्मान गनी सैयउ जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 04 कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर दिनांक 28.10.2013 मुकदमा नम्बर 16 / 2013 विविध अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम बउनवानी तुलछी देवी बनाम मदनलाल आदि।

उपस्थिति :
1. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 11/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2013 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां अपीलान्ट ने अपने खेत खसरा नमबर 401/2 व 401/1333 तन ग्राम लक्ष्मणगढ़ में अवस्थित है जिसमें आने जाने के एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 404 में से होकर है जो रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए आवेदन पत्र के साथ वर्णित नजरी नक्शे में दर्शित ए.बी.सी.डी. स्थान से खसरा नम्बर 404 मे से रास्ता नक्शे में कटवाया जावे। उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय ने अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत निर्णय जैर अपील के जरिये खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में सूखाचार के आधार पर वाद वाद पूर्व से दिवान न्यायालय में लंबित होने को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आधार बनाकर आवेदन निरस्त किया है जबकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में इस तरह के आधार का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए निर्णय विचारण न्यायालय निरस्त होने योग्य है। सुखाचार के आधार पर दीवानी न्यायालय को सुनवाई का अलग क्षेत्राधिकार है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अलग तरह के प्रावधान है। दोनों समान्तर कार्यवाही करने में प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन इस बिन्दू पर विचारण न्यायालय ने गलत निर्णय पारित कर दिया जो निर्णय निरस्त होने योग्य है। खसरा नम्बर 401 के तीन खसरा नम्बर बन गये, खसरा नम्बर 401/2 व 401/1333 के कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है लेकिन इस विषय पर विचारण न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है। अतः उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उपर के उच्च अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाये बिना नियमों के बाध्यकारी प्रावधानों की अनदेखी कर मनमर्जी से निर्णय पारित किया है जो निर्णरू निरस्त होने योग्य है। निर्णय दिनांक 28.10.2013 को पारित किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

था जिसकी नकल हेतु दिनांक 12.11.2013 को आवेदन प्रस्तुत किया नकल दिनांक 13.11.2013 को प्राप्त हेतु नकल मिलने में लगे 2 दिन का समय निकाल देने के पश्चात अपील की अवधि दिनांक 28.12.2013 को समाप्त होती है। दिनांक 28.12.2013 व 29.12.2013 को शनिवार व रविवार का अवकाश होने के कारण यह अपील आज सावधि प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। वरवक्त बहस अपीलांट की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (2) के विधिक प्रावधान, एडीजे क्रम संख्या 3 सीकर द्वारा निर्मल बनाम जिला कलेक्टर में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2019 एवं सीपीसी के आदेश 11 के विधिक प्रावधानों की प्रति प्रस्तुत की। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां अपीलान्ट ने अपने खेत खसरा नमबर 401/2 व 401/1333 तन ग्राम लक्ष्मणगढ़ में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 404 में से प्रदान करने का अनुतोष चाहा है। इसलिए आवेदन पत्र के साथ वर्णित नजरी नक्शे में दर्शित ए. बी.सी.डी. स्थान से खसरा नम्बर 404 मे से रास्ता नक्शे में कटवाया जावे। उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय ने अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत निर्णय जैर अपील के जरिये खारिज कर दिया है। पक्षकारान के मध्य रास्ते को लेकर सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 404 में रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थीया की अविभक्त भूमि में आवागमन हेतु चालु कटानी रास्ता खसरा नम्बर 400 गैर मुमकिन रास्ता पर स्थित होने का जवाब सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 251 ए के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थीया अपीलान्ट का आवेदन आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां अपीलान्ट ने अपने खेत खसरा नमबर 401/2 व 401/1333 तन ग्राम लक्ष्मणगढ़ में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 404 में से प्रदान करने का अनुतोष चाहा है। इसलिए आवेदन पत्र के साथ वर्णित नजरी नक्शे में दर्शित ए.बी.सी.डी. स्थान से खसरा नम्बर 404 मे से रास्ता नक्शे में कटवाया जावे। उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय ने अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत विचाराधीन निर्णय से खारिज कर दिया है।

इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य रास्ते को लेकर सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 404 में रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थीया की अविभक्त भूमि में आवागमन हेतु चालु कटानी रास्ता खसरा नम्बर 400 गैर मुमकिन रास्ता पर स्थित होने का जवाब सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 251 ए के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थीया अपीलान्ट का आवेदन आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर